न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 266 / 2014

बउनवान

शिशुपाल पुत्र रामनाथ जाति–मीणा निवासी–कोटडी
तहसील–बारां, जिला–बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री रघुवीरप्रसाद मीणा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 11.10.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 28.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–कोटडी, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 873 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 110/–रुपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में [illegible] है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों [illegible] होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने [illegible] को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर नहीं दिया है न ही [illegible] है। मात्र हल्का पटवारी की झूठी व मनगंढत रिपोर्ट के आधार [illegible] भारी भूल की है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा [illegible] खाली पडी हुई है। बकाया तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ [illegible] निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.3.2014 निरस्त फरमाया जावे।

[illegible] रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया [illegible] का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर [illegible] अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये सजायाब किया गया है। साथ हीं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.3.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 638/13 निर्णय दिनांक 11.3.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की [illegible] आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बा[illegible] शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ [illegible] 890/14 में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2014 दी गयी [illegible] इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आरा[illegible] तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकि[illegible] उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, [illegible] से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां [illegible] दिनांक 28.3.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ [illegible] अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय [illegible] यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक [illegible] जलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.[illegible])
जि[illegible], बारां

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official